



2026:AHC-LKO:15054-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 170/2026

मोहम्मद आलम

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उ.प्र. लखनऊ एवं 4 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – कृष्ण गोपाल

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, एम.के.दीक्षित

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. जनहित याचिका पर बल देने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोष हेतु प्रार्थना की है :-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी 1 से 5 को याचिकाकर्ता की शिकायत/आवेदन दिनांक 02/12/2025, जिसे प्रतिवादी अधिकारियों (विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 और 3) को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था, पर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया जाए ताकि वार्ड- गढ़ी कदीम, नगर पंचायत- जैदपुर, जिला- बाराबंकी में इंटरलॉकिंग सड़कों और आरसीसी नालियों के चल रहे निर्माण की तत्काल उच्च-स्तरीय तकनीकी जांच और स्थल निरीक्षण किया जाए, जिसे निर्धारित मानकों का घोर उल्लंघन करते हुए निष्पादित किया जा रहा है।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 और 5 अर्थात् अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी आदर्श नगर पंचायत जैदपुर, जिला-बाराबंकी को यह निर्देश दिया जाए कि वे कार्यदायी संस्था, मेसर्स श्री हरि एसोसिएट्स की तकनीकी योग्यता, कार्य अनुभव, सॉल्वेंसी (ऋणशोधन क्षमता) और बोली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्षमता का एक स्वतंत्र ऑडिट प्रस्तुत करें, ताकि नगर पंचायत जैदपुर में आवंटित परियोजनाओं के लिए इसकी पात्रता निर्धारित की जा सके।

(iii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (ईट, बेस और ग्रेट) की गुणवत्ता के संबंध में एक तटस्थ तकनीकी समिति द्वारा संतुष्टि रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक कार्यदायी संस्था को आगे के समस्त भुगतान रोक दें।

(iv) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जो कि एक निर्वाचित सभासद और जिला योजना समिति के सदस्य हैं, ताकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके द्वारा की गई व्हिसलब्लोइंग को दबाने के कारण अधिकारियों द्वारा प्रारंभ की गई किसी भी प्रतिशोधात्मक या दुर्भावनापूर्ण विधिक कार्रवाई से उनका बचाव हो सके।"

3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जैदपुर, जिला बाराबंकी के विरुद्ध घटिया कार्य कराए जाने के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए हैं।

4. याचिकाकर्ता उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकता है, यदि कोई हेतुक है, या अन्य उपचार प्राप्त कर सकता है, जो विधि के अंतर्गत अनुमेय हों।

5. याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

24 फरवरी, 2026

प्रवीण